न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : 2017 निगरानी PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/1941

1. भाणजी पिता मकनाजी देवदा भील, आयु 53 वर्ष,धंधा – कृषि व मजदूरी
2. नाराजी पिता नानंजी देवदा भील आयु 41 वर्ष, धंधा – कृषि व मजदूरी
3. हुरजी पिता नानजी देवदा भील आयु 39 वर्ष, धंधा – कृषि व मजदूरी
4. वीरजी पिता नानजी देवदा भील आयु 37 वर्ष, धंधा – कृषि व मजदूरी
5. ज्योति पिता नानजी देवदा भील आयु 35 वर्ष, धंधा – कृषि व मजदूरी
6. मोती पिता नानजी देवदा भील आयु 33 वर्ष, धंधा – कृषि व मजदूरी

निवासीगण ग्राम बजरंगगढ़ तह. रावटी जिला रतलाम

............प्रार्थीगण

प्रार्थी अभिभाषक श्री शैलेन्द्र .... द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25-5-17
अधीक्षक 25.5.17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1. कमजी पिता महानिंग देवदा भील, आयु 43 वर्ष, धंधा कृषि निवासी ग्राम बजरंगगढ़ तह. रावटी जिला रतलाम

....................प्रतिप्रार्थी

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा प्र.क्र. 374/अपील /15–16 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, प्रार्थीगण तथा प्रतिप्रार्थी के संयुक्त नाम से भूमि सर्वे नम्बर 156, 164,169,181,409 स्थित ग्राम बजरंगगढ़ तह. रावटी जिला रतलाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है जिनका दिनांक 30.06.2012 को सीमांकन कराया गया। सीमांकन में सर्वे नम्बर 56,164,139,409 की भूमि पर प्रार्थीगण का अधिपत्य पाया जाने से रिस्पोंटेट द्वारा धारा 250 के तहत कार्यवाही हेतु तहसीलदार रावटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वास्तिविक स्थिति बताते हुये उत्तर प्रस्तुत किया। कि विवादित भूमि पर उनका अधिपत्य 40 – 50 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है इसके बावजूद अवधि बाधित आवेदन के आधार पर कब्जा दिलाये जाने का आदेश दिनांक 06.09.2014 को पारित किया उक्त आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो कि निरस्त की गई थी। चंकि प्रार्थीगण अनपढ़ होकर मजदूरी का कार्य करते है और मजदूरी के सिलसीले में अक्सर बाहर दुसरे प्रदेश में रहते है इस बजह से उपरोक्त आदेश की जानकारी उन्हें नही हो पाई तथा वे जब दिनांक 25.02.2016 को वापस गॉव आये और अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर [illegible] प्राप्त कर दिनांक 02.03.

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/1941

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/01/2019	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 374/अपील/2014-16 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार रावटी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज भूमि सर्वे नं. 156, 164, 169, 409 रकवा क्रमश: 0.29, 0.40, 0.95, 0.55 स्थित ग्राम बजरंगगढ तह0 रावटी के सीमांकन कराने के पश्चात आवेदित भूमि पर आवेदकों का अवैध कब्जा पाए जाने से कब्जा वापस दिलाए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 06.09.14 द्वारा अनावेदक का आवेदन स्वीकार करते हुए संहिता की धारा-250 के तहत आवेदकगणों को कब्जा हटाने हेतु आदेशि किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 21.07.2015 द्वारा निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त् आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 13.12.2016 द्वारा अवधि वाह्य होने से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा-5 का आवेदन-पत्र जिसमें प्रार्थीगण के द्वारा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया था कि प्रार्थीगण निरक्षर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
	अनपढ़ ग्रामीण है तथा मजदूरी के सिलसिले में म.प्र. के बाहर जाते रहते हैं और वे गुजरात मजदूरी करने को गए थे इस वजह से उन्हें प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी नहीं हो पाई, पर भी विधिवत रूप से विचार न करके जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है अपन तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1995 (1), m.p.w.n. शॉर्ट नोट 243, 2000 (1) m.p.w.n. शॉर्ट नोट 200, एवं 2002 (1) m.p.w.n. शॉर्ट नोट 60 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 - गरीबी, निरक्षरता तथा अनभिज्ञता विलंब की माफी के लिए पर्याप्त कारण हैं - न्यायालय का रुख उदार होना चाहिए। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीग्रस्त आदेश पारित करते समय उक्त् तथ्य पर भी विधिवत रूप से यह विचार नहीं किया कि प्रार्थीगण अनपढ़ हैं तथा वह मजदूरी का कार्य करते है तथा मजदूरी करने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है और वह बाहर गए हुए थे इसलिए उसे प्रकरण में पारित आदेश का ज्ञान नहीं हो सका तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, इस आधार पर वह निरस्ती योग्य है। 4/ अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 178 दिन विलंब से प्रस्तुत की गई है। अवधि विधान की धारा-5 के तहत प्रस्तुत आवेदन के समर्थन में ऐसे कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिस कारण विलंब क्षमा किया जा सके। अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना अनिवार्य होता	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/1941

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	है। उक्त् आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.12.2016 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	